# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

**Email id-** ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713551
election09@gmail.com फैक्स न0 (0135) -2713724,


संख्या–1501 /XXV– 12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 25 अगस्त, 2023

**सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र**

सेवा में,

श्री किशन सिंह,
ग्राम–पत्तापानी,
डाकघर–बैलपड़ाव,
जिला–नैनीताल, उत्तराखण्ड।

**विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी/उपसचिव राजभवन राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4854 दिनांक 17 अगस्त, 2023 एवं लोक सूचना अधिकारी/सहायक स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–409 दिनांक 23 अगस्त, 2023 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 09.08.2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, के सम्बन्ध में मांगी गयी वांछित सूचना कार्यालय में धारित निर्वाचन विधि निर्देशिका (जिल्द–1) से 03(तीन) पृष्ठों में संलग्न कर प्रेषित है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंन्तुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

**संलग्न–यथोपरि।**

भवदीय,

**अपीलीय अधिकारी का पता**
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

BSRawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

**पृ0संख्या– 1501 /XXV– 12(P-14) /2021 , तददिनांक।**

प्रतिलिपि 1–लोक सूचना अधिकारी/उपसचिव राजभवन राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

2– लोक सूचना अधिकारी/सहायक स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

BSRawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

रहते हुए (जिसके अंतर्गत यह उपांतरण भी है कि उसमें राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे, क्रमशः विधान सभा और इस अधिनियम की धारा 12, धारा 18 और धारा 37 के प्रति निर्देश हैं) विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में लागू होते हैं, और तदनुसार :---

(क) इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची इस अधिनियम का भाग समझी जाएगी ; और

(ख) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य होने से निरर्हित होगा यदि वह इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित है ।

* * * * * *

भाग 3

## निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

**38. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करना**--(1) निर्वाचन आयोग, धारा 3 के अधीन विधान सभा के लिए समनुदिष्ट स्थानों को एक-सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में, इसमें उपबन्धित रीति से, वितरित करेगा और उनका परिसीमन निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, करेगा, अर्थात् : ---

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्रों का, यथासाध्य, ऐसी रीति से परिसीमन किया जाएगा कि राजधानी की कुल जनसंख्या का ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या से अनुपात एक ही हो ; और

(ख) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे, जहां उनकी जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक हो ।

(2) निर्वाचन आयोग,---

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से भी, जैसी आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ-साथ एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो जिसकी या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों ;

(ग) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले उसे प्राप्त हुए सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेशों या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा ; और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेगा या रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

**332. राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण**---(1) [84]*** प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और [85][असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर] अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(*b*) no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature.

* * * * *

## PART XVI

### SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES

**330. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People**.—(1) Seats shall be reserved in the House of the People for—

(*a*) the Scheduled Castes;

[1][(*b*) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; and]

(*c*) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam.

(2) The number of seats reserved in any State [2][or Union territory] for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats allotted to that State [2][or Union territory] in the House of the People as the population of the Scheduled Castes in the State [2][or Union territory] or of the Scheduled Tribes in the State [2][or Union territory] or part of the State [2][or Union territory], as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State [2][or Union territory].

[3][(3) Notwithstanding anything contained in clause (2), the number of seats reserved in the House of the People for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to the total number of seats allotted to that State a proportion not less than the population of the Scheduled Tribes in the said autonomous districts bears to the total population of the State.]

[4][*Explanation*.—In this article and in article 332, the expression "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year [5][2026] have been published, be construed as a reference to the [5][[6][2001] census.]

**331. Representation of the Anglo-Indian community in the House of the People**.— Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, nominate not more than two members of that community to the House of the People.

**332. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States**.—(*1*) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, [7][except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam], in the Legislative Assembly of every State [8]***.

(*2*) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.

1. Subs. by the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 2, for sub-clause (*b*) (w.e.f. 16-6-1986).
2. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

[84] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।

[85] संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 द्वारा (16-6-1986 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. Ins. by the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973, s. 3.
4. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 47 (w.e.f. 3-1-1977).
5. Subs. by the Constitution (Eighty-fourth Amendment) Act, 2001, s. 6, for "2000" and "1971", respectively.
6. Subs. by the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, s. 5, for "1991".
7. Subs. by the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 3, for certain words (w.e.f. 16-6-1986).
8. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

[86][(3क) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी सन् [87][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या के अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, वे---

(क) यदि संविधान (सतावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान विधान सभा में (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् विद्यमान विधान सभा कहा गया है) सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है ।]

[88][(3ख) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् [2][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है ।]

(4) असम राज्य की विधान सभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

(5) [89]*** असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा ।

(6) कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान सभा के लिए [4]*** उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा :

[90][परंतु असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के लिए, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और गैरअनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था, बनाए रखा जाएगा ।]

**333. राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व**---अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य के राज्यपाल [91]*** की यह राय है कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधान सभा में [92][उस समुदाय का एक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा] ।

---

[86] संविधान (सतावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा (21-9-1987) से अंतःस्थापित ।
[87] संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 7 द्वारा "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[88] संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) अंतःस्थापित ।
[89] 1971 के अधिनियम सं. 81 की धारा 71 द्वारा (21-1-1972 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
[90] संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (28-9-2003 से) अंतःस्थापित ।
[91] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
[92] संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 4 द्वारा (23-1-1970 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष– 0135–2712100 / 2712200

सूचना का अधिकार

पत्र संख्याः 409 / 409–मु.स. / सू.अ. / 2023 दिनांकः 23 अगस्त, 2023

लोक सूचना अधिकारी,
निर्वाचन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदक श्री किशन सिंह, ग्रा0–पत्तापानी, पो0–बैलपड़ाव, जिला–नैनीताल–263139 द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2023, जो राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय, देहरादून में दिनांक 21.08.2023 को प्राप्त हुआ है, को मूल रूप में आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशयं से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा अनुरोध पत्र पर मांगी गई सूचना निर्वाचन विभाग से संबंधित है। अतः अनुरोधकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र की वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।
संलग्नः यथोक्त।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकनः /स.स्टा.आ.–मु.स. / सू.अ. / 2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–श्री किशन सिंह, ग्रा0–पत्तापानी, पो0–बैलपड़ाव, जिला–नैनीताल–263139 को सूचनार्थ। आप द्वारा मांगी गई सूचना मुख्य सचिव कार्यालय की अभिरक्षा / नियंत्रण में धरित नहीं है अपितु निर्वाचन विभाग से संबंधित होने के कारण आपका आवेदन पत्र संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जा रहा है। **यदि निर्वाचन विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट न हों, तो कृपया निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित करने का कष्ट करें।**
2. श्री एन0के0 पोखरियाल, उप सचिव श्री राज्यपाल / लोक सूचना अधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र सं0–4854 / R-1(1) (आरटीआई) / जी0एस0(विविध) / 2020 दिनांक 17.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

रजि0/ स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार

राजभवन
राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड
सख्या 4854/ R-1(1) (आरटीआई)/जी0एस0 (विविध)/2020
देहरादून दिनांक 17 अगस्त, 2023

सेवामें,

**लोक सूचना अधिकारी,**
मुख्य सचिव कार्यालय,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून ।

**लोक सूचना अधिकारी**
निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

**विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना अन्तरित कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री किशन सिंह, ग्राम–पत्तापानी, बैलपड़ाव, नैनीताल द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 09–08–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इस सचिवालय में दिनांक 16–08–2023 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में विधान सभा चुनाव के समय कोई आरक्षण नीति नही है। यदि है तो उसके बारे में अवगत कराया जाय और यदि आरक्षण नीति बनाई गई है तो अवगत कराया जाय, यदि आरक्षण नीति नहीं बनाई गई है तो इसके सम्बन्ध में विचार किया जाना है के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है।

अनुरोधकर्ता द्वारा वांछित सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख/ सूचना राज्यपाल सचिवालय में धारित नहीं है। इन सूचनाओं का सम्बन्ध आपके कार्यालय से होने के दृष्टिगत सूचना अनुरोध पत्र की प्रति **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत आपको अन्तरित किया जा रहा है।** कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचनाएं नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह भी प्रमाणित किया जा रहा है कि अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना शुल्क रु0 10/– के भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–56F 128395 की प्रति संलग्न है। इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को भी प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

17/8/23

**(एन0के0 पोखरियाल)**
लोक सूचना अधिकारी/उपसचिव।

**संलग्नक : यथोपरि।**

**संख्या– /(1)/आर–1(1)(आरटीआई)/जी0एस0(विविध)/2023, समदिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री किशन सिंह, ग्राम–पत्तापानी, बैलपड़ाव, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा अपेक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित कोई अभिलेख राज्यपाल सचिवालय में धारित न होने के दृष्टिगत अनुरोध पत्र उपरोक्तानुसार सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों को अन्तरित किया जा रहा है। सूचना से सन्तुष्ट न होने दशा में आप सम्बन्धित विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अपील प्रस्तुत कर सकते है।
2. अनुभाग अधिकारी (सा0प्र0), राज्यपाल सचिवालय को उपरोक्त सूचना मासिक विवरण में सम्मिलित करने हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी (लेखा अनुभाग) को सूचना विषयक शुल्क **रू0 10/-** के भारतीय पोस्टल आर्डर सं0–56F 128395 राजकीय कोष में जमा करने विषयक।

**(एन0के0 पोखरियाल)**
लोक सचना अधिकारी/अनसचिव।

E4717 R.T.I
14/8/23

सेवा में,
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
राज्य पाल कार्यालय
गढ़ी कैन्ट रोड
कार्यालय - देहरादून

(एन.के. पोखरियाल)
उप सचिव, श्री राज्यपाल
उत्तराखण्ड

विषय- जिला - नैनीताल में कालाढुंगी विधान सभा क्षेत्र के विधायक माननीय बंशीधर भगत अपने विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी में कई बार विधायक बन चुके हैं बंशीधर भगत हिन्दू धर्म के अनुसार ब्राह्मण जाति के व्यक्ति हैं जो कि एक सामान्य जाति में आते हैं। एक ही जाति के तथा एक ही व्यक्ति का बार बार विधायक बनने से उस विधान सभा क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों को नेता बनने का मौका नहीं मिलता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, ओ॰बी॰सी॰ तथा अल्प संख्यक कई जातियों के प्रतिभा वान व्यक्ति इस विधान सभा क्षेत्र में हैं। अतः श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय से निवेदन है कि उत्तराखण्ड प्रदेश में विधान सभा चुनाव के समय इस समस्या के समाधान के लिए कोई आरक्षण नीति नहीं है। यदि है तो उसके बारे में बतलाया जाय और यदि आरक्षण नीति नहीं बनाई गई है तो इसके बारे में विचार किया जाना आवश्यक है।

महोदय,
निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम - पत्तापानी डाकघर - बैलपड़ाव जिला - नैनीताल का रहने वाला है प्रार्थी सूचना के अधिकार का प्रार्थना पत्र लिख कर विधान सभा चुनाव के बारे में जानना चाहता है कि किसी व्यक्ति विशेष का कई बार नेता चुने जाने से भी कई प्रकार की हानियां लोगों को उठानी पड़ जाती हैं इसके समाधान के लिए यदि कोई और तरीका है तो प्रार्थी को पत्र लिख कर बतलाया जाय। आरक्षण नीति का मामला भी कुछ हद तक ठीक है।

RO/NO
16 Aug

इसके अलावा अपीलीय अधिकारी का पद, कार्यालय का पता तथा फोन नम्बर भी दिया जाय। लोक सूचना अधिकारी का फोन नम्बर दिया जाय।

प्रार्थी- किशनसिंह
ग्राम - पत्तापानी
डाकघर - बैलपड़ाव
जिला - नैनीताल
तारीख - ९-८-2023
पोस्टल आर्डर नम्बर - ५६एफ - १२८३९५

दह टका दश टाका ... दहा रुपये ... दस रुपये दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लोक सूचना अधिकारी
राज्यपाल कार्यालय
देहरादून को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

किशनसिंह
ग्राम - पत्तापानी
डाकघर - बैलपड़ाव
जिला - नैनीताल

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER 11/7/23

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 128395

रजि0 / स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार

राजभवन
राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड
सख्या 4854 / R-1(1) (आरटीआई) / जी0एस0 (विविध) / 2020
देहरादून दिनांक 17 अगस्त, 2023

प्रस्त 21/8/23

सेवामें,

**लोक सूचना अधिकारी,**
मुख्य सचिव कार्यालय,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून ।

✓**लोक सूचना अधिकारी**
निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

**विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना अन्तरित कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री किशन सिंह, ग्राम–पत्तापानी, बैलपड़ाव, नैनीताल द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 09–08–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इस सचिवालय में दिनांक 16–08–2023 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में विधान सभा चुनाव के समय कोई आरक्षण नीति नही है। यदि है तो उसके बारे में अवगत कराया जाय और यदि आरक्षण नीति बनाई गई है तो अवगत कराया जाय, यदि आरक्षण नीति नहीं बनाई गई है तो इसके सम्बन्ध में विचार किया जाना है के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है।

अनुरोधकर्ता द्वारा वांछित सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख / सूचना राज्यपाल सचिवालय में धारित नहीं है। इन सूचनाओं का सम्बन्ध आपके कार्यालय से होने के दृष्टिगत सूचना अनुरोध पत्र की प्रति **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत आपको अन्तरित किया जा रहा है।** कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचनाएं नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह भी प्रमाणित किया जा रहा है कि अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना शुल्क रु0 10 / – के भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–56F 128395 की प्रति संलग्न है। इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को भी प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

**संलग्नक : यथोपरि।**

17/8/23
**(एन0के0 पोखरियाल)**
लोक सूचना अधिकारी / उपसचिव।

**संख्या– / (1) / आर–1(1)(आरटीआइ) / जी0एस0(विविध) / 2023, समदिनांकित**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री किशन सिंह, ग्राम–पत्तापानी, बैलपड़ाव, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा अपेक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित कोई अभिलेख राज्यपाल सचिवालय में धारित न होने के दृष्टिगत अनुरोध पत्र उपरोक्तानुसार सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों को अन्तरित किया जा रहा है। सूचना से सन्तुष्ट न होने दशा में आप सम्बन्धित विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अपील प्रस्तुत कर सकते है।
2. अनुभाग अधिकारी (सा0प्र0), राज्यपाल सचिवालय को उपरोक्त सूचना मासिक विवरण में सम्मिलित करने हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी (लेखा अनुभाग) को सूचना विषयक शुल्क **रू0 10/-** के भारतीय पोस्टल आर्डर सं0–56F 128395 राजकीय कोष में जमा करने विषयक।

**(एन0के0 पोखरियाल)**
लोक सचना अधिकारी / अनसचिव।

E4717 R.T.I
14/8/23
S.0.

(एन.के. पोखरियाल)
उप सचिव, श्री राज्यपाल
उत्तराखण्ड

सेवा में,
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
राज्य पाल कार्यालय
गढ़ी कैंन्ट रोड
कार्यालय - देहरादून

विषय- जिला - नैनीताल में कालाढुँगी विधान सभा क्षेत्र के विधायक माननीय बंशीधर भगत अपने विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी में कई बार विधायक बन चुके हैं बंशीधर भगत हिन्दू धर्म के अनुसार ब्राह्मण जाति के व्यक्ति हैं जो कि एक सामान्य जाति में आते हैं। एक ही जाति के तथा एक ही व्यक्ति का बार बार विधायक बनने से उस विधान सभा क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों को नेता बनने का मौका नहीं मिलता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, ओ॰बी॰सी॰ तथा अल्प संख्यक कई जातियों के प्रतिभा वान व्यक्ति इस विधान सभा क्षेत्र में हैं। अतः श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय से निवेदन है कि उत्तराखन्ड प्रदेश में विधान सभा चुनाव के समय इस समस्या के समाधान के लिए कोई आरक्षण नीति नहीं है। यदि है तो उसके बारे में बतलाया जाय और यदि आरक्षण नीति नहीं बनाई गई है तो इसके बारे में विचार किया जाना आवश्यक है।

महोदय,
निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम -पत्तापानी डाकघर - बैलपड़ाव जिला- नैनीताल का रहने वाला है प्रार्थी सूचना के अधिकार का प्रार्थना पत्र लिख कर विधान सभा चुनाव के बारे में जानना चाहता है कि किसी व्यक्ति विशेष का कई बार नेता चुने जाने से भी कई प्रकार की हानियां लोगों को उठानी पड़ जाती हैं इसके समाधान के लिए यदि कोई और तरीका है तो प्रार्थी को पत्र लिख कर बतलाया जाय। आरक्षण नीति का मामला भी कुछ हद तक ठीक है।

RO/NIO
16 Aug

इसके अलावा अपीलीय अधिकारी का पद, कार्यालय का पता तथा फोन नम्बर भी दिया जाय। लोक सूचना अधिकारी का फोन नम्बर दिया जाय।

प्रार्थी - किशनसिंह
ग्राम - पत्तापानी
डाकघर - बेलपड़ाव
जिला - नैनीताल
तारीख - ९-८-२०२३
पोस्टल आर्डर नम्बर - ५६ एफ - १२८३९५

दस टका | दश टाका | दस रुपिया | ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ | ... | ... | दहा रुपये | ... | ... | दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लोक सूचना अधिकारी
राज्यपाल कार्यालय
देहरादून
को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹10

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.
किशनसिंह
ग्राम - पत्तापानी
डाकघर - बेलपड़ाव
जिला - नैनीताल

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER 1/8/23

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 128395